परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद

नीलामी
दिनांक 30.03.2013

में ग्रुप हाउसिंग व अनावासीय सम्पत्तियों की

नीलामी

समय
प्रातः 11.00 बजे

नीलामी स्थल : सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, मेरठ

सम्पत्तियों का विवरण

भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	एफ. ए. आर.	अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज	अधिकतम ऊँचाई	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित दर (प्रति व.मी.)	टोकन मनी (सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत)
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड							
8/जी.एच.-1	10811.00	2.5	40%	उप विधि के अनुसार	ओ.बी.सी.	42597.00	46051700.00
8/जी.एच.-2	16750.00	2.5	40%	उप विधि के अनुसार	सामान्य	42597.00	71350000.00
10/जी.एच.-1	10390.83	2.5	40%	उप विधि के अनुसार	सामान्य	42597.00	44261900.00
10/जी.एच.-2	10360.60	2.5	40%	उप विधि के अनुसार	सामान्य	42597.00	44133100.00
10/जी.एच.-7	11628.22	2.5	40%	उप विधि के अनुसार	अनु. जाति	42597.00	49532800.00
नर्सिंग होम भूखण्ड							
9/एन.एच.-01	3090.11	1.5	35%	उप विधि के अनुसार	सामान्य	38724.00	11966200.00
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (लीज पर)							
9/सी.सी.-02	1986.26	1.5	40%	उप विधि के अनुसार	सामान्य	27891.00	5539900.00

नियम एवं शर्तें : सम्पत्तियों का नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को व्यवसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य को 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक अथवा पे-आर्डर जो कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते है, सील्ड बिड कार्यालय कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक 28.03.2013 तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक 30.03.2013 को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेगें। व्यवसायिक भूखण्डों में एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज अधिकतम ऊँचाई आदि की जानकारी सम्बन्धित वास्तुविद नियोजक इकाई-1, वसुन्धरा गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी वृद्धि हो सकती है। यदि आरक्षित श्रेणी के क्रेता उपलब्ध नहीं होते है तो तत्समय ही निर्णायक मण्डल द्वारा आरक्षित श्रेणी के भूखण्डों को सामान्य में परिवर्तित कर नीलामी कर दी जायेगी।

आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ आरक्षित श्रेणी का सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने की दशा में आरक्षित दर से मूल्य कम किया जायेगा एवं क्षेत्रफल वृद्धि होने की दशा में प्राप्त उच्चतम बोली की दर से मूल्य लिया जायेगा। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनोदश के अनुसार देय स्टाम्प डयूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी पुस्तिका रू. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते है। आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म.) का निर्णय अन्तिम होगा।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या, हमसे कहें
डायल करें: 1800-180-5333 (टोल-फ्री), 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम अनुवर्ती
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : http://www.upavp.com E-mail : upavp@sanchar.net.in